



ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...



आत्मनिर्भरता की ओर
बढ़ी रजनी देवी
(पृष्ठ - 02)



सीमा ने भरी हौसले की उड़ान
(पृष्ठ - 03)



सतत् जीविकोपार्जन
योजना से सीमा देवी को
मिला रोजगार
(पृष्ठ - 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना एक नई राह

माह - मई 2024 || अंक - 34

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत पशुधन गतिविधियों से जीविकोपार्जन संवर्धन

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन हेतु सुक्ष्म उद्यम गतिविधियों से जोड़कर उनको सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस योजना से जुड़ी महिलाएँ अत्यंत गरीब हैं। इनमें से कई महिलाओं द्वारा बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन एवं डेयरी गतिविधि करने की इच्छानुसार कार्य किया जा रहा है।

पशुधन गतिविधि एक बहुआयामी गतिविधि है जो बिहार में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें बकरी पालन एक ऐसा उद्यम है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों द्वारा किया जाता है। भारत में बकरी मुख्य मांस उत्पादक पशुओं में से एक है। बिहार में भी बकरी के मांस की काफी मांग है। इस दृष्टिकोण से बकरियों को बेचने में कठिनाई नहीं होती है। मांस के अलावा बकरियों के अन्य उपयोग भी हैं। इस कारण बकरी पालन में विगत कुछ वर्षों से बढ़ोतरी हुआ है।

साथ ही गाय एवं भैंस पालन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ भूमिहीन परिवारों के लिए आमदनी का जरिया है। गाय एवं भैंस पालन गरीब परिवारों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। गाय एवं भैंस के दूध की बिक्री से एक ओर उन्हें आय होती है, जिससे परिवार के भरण-पोषण में मदद मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें पोषण युक्त दूध मिलता है। गाय एवं भैंस के गोबर से जलावन एवं खेतों के लिए जैविक खाद भी तैयार हो जाता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े लगभग 68 हजार अत्यंत गरीब, भूमिहीन, अशिक्षित, महिला प्रधान परिवार बकरी पालन व्यवसाय अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत बकरी पालन से जुड़े परिवारों को वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के बारे में दीदियों को प्रशिक्षण देकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रत्येक परिवारों को इस योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि से 3 से 4 उन्नत नस्ल की बकरियाँ ग्राम संगठन द्वारा खरीदकर बकरी पालन व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु दिया जाता है। इस योजना के तहत विशेष निवेश निधि से या मनरेगा के अभिसरण से बकरी शोड निर्माण कराने में सहयोग किया जाता है। वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर के अनुसार सभी बकरियों को जीविका के पशु सखी द्वारा घर-घर जाकर कृमिनाशक दवा पिलाया जाता है एवं बकरियों में होनेवाले जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाता है। त्योहारों के समय स्थानीय स्तर पर बकरी हाट लगाकर बकरियों को बेचने की व्यवस्था की जाती है। दीदियों को बकरियों की बिक्री से अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए वजन के आधार पर बकरियों को बेचने हेतु दीदी को जागरूक किया जाता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत भागलपुर जिला के पीरपैती एवं सबौर प्रखंड में तथा मुंगेर जिला के धरहरा एवं हवेली खड़गपुर प्रखंड में डेयरी क्लस्टर चलाया जा रहा है। दोनों जिले मिलाकर डेयरी क्लस्टर से 154 अत्यंत निर्धन परिवार जुड़े हैं जिनमें से अधिकतर परिवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं। पूर्व में इनमें से अधिकतर परिवार देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री के व्यवसाय से जुड़े थे, जो सतत् जीविकोपार्जन योजना में चयनित होने के पश्चात गव्य/भैंस पालन से जुड़कर सफलतापूर्वक दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री का व्यवसाय कर रहे हैं। गव्य/भैंस/बकरी पालन से जुड़ी दीदियाँ सफलतापूर्वक बकरी एवं दूध के व्यवसाय से आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं।



आत्मनिर्भरता की ओर थड़ी रजनी देखी

कटिहार जिला की रहने वाली रजनी उन सफल महिलाओं में से एक है जिन्होंने सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किराना दुकान संचालित कर अपने घर की आमदनी बढ़ाई है। आज वह खुद का व्यवसाय संचालित कर छह हजार रुपये प्रतिमाह कमा रही है। पूर्व में दीदी के पति को शराब की बुरी लत थी। प्रतिदिन मार-पीट और झगड़ा आम बात थी। एक दिन दीदी परेशान होकर अपने बेटा और बेटी के साथ मायके आ गई। शराबी पति का जुर्म फिर भी कम नहीं हुआ। वह उनके मायके में आकर भी उनसे मारपीट करता था। एक दिन रात के अंधेरे में उनके पति ने दीदी के घर में आग लगा दिया, जिससे उनका पूरा घर जल गया। गांव वाले ने किसी तरह इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दीदी के मायके वाले द्वारा केस किया गया। इससे उनके पति को तीन साल की सजा हो गई।

पति को सजा होने के बाद दीदी अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए खेतों में मजदूरी करने लगी। कभी दिहाड़ी पर काम मिलता तो कभी काम ही नहीं मिलता, इतनी मजदूरी में तो भोजन भी पूरा नहीं हो पाता था। इस बीच एक दिन ओम जीविका महिला ग्राम संगठन की कुछ दीदियों ने इनसे बात की और कहा कि ग्राम संगठन की मदद से आपको कुछ रोजगार दिया जायेगा, जिससे आप अपने परिवार का जीवन-यापन कर सकती हैं। सबसे पहले दीदी को समूह में जुड़वाया गया। ग्राम संगठन की मदद से इनके इच्छानुसार गांव में ही एक किराना दुकान खोलने के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि मद में बीस हजार रुपये की संपत्ति एवं विशेष निवेश निधि मद में दस हजार राशि प्रदान की गई। इस व्यवसाय की आय से दीदी अपने बैंक खाते में 26,000 रुपये जमा कर ली है। अब इनके पास डेढ़ लाख रुपये से अधिक की परिसम्पत्ति है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही है।



बेसहारा जीवन में मिला सहारा

किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत की रहने वाली समिला देवी की शादी कम उम्र में कर दी गई थी। कैंसर से पीड़ित पति के निधन से घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। थोड़ा-बहुत जो जमा पैसे थे, वह बीमार पति के इलाज में खर्च हो गए। समिला देवी बताती हैं कि बच्चों के भरण-पोषण की समस्या आ गयी थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। मजदूरी और पास-पड़ोस, रिश्तेदारों से माँग कर जीवन यापन करने को मजबूर थीं। दीदी बताती हैं कि इस विषम परिस्थिति में सतत् जीविकोपार्जन योजना उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आयी। वर्ष 2020 में समिला देवी का चयन चमेली जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी के रूप में किया गया। समिला दीदी ने इस योजना की मदद से घर के पास ही किराना दुकान खोलने का निश्चय किया। योजना के तहत इन्हें दुकान बनाने के लिए 10 हजार रुपये विशेष निवेश निधि की राशि दी गई। वहीं, ग्राम संगठन के द्वारा 20 हजार रुपये जीविकोपार्जन निवेश निधि की राशि से दुकान में सामान खरीद कर दिया गया। शुरुआत में दुकान की पूँजी की सुरक्षा और दीदी के भरण-पोषण के लिए जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रूप में सात महीने तक 1000-1000 रुपये दिये गये।

दीदी बताती हैं कि दुकान से महीने में 10,000 से 12,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। दुकान की कमाई से समिला देवी, डेढ़ बीघा जमीन बटाई पर लेकर खेती-बाड़ी भी करती हैं। दुकान और खेती की आमदनी से दीदी ने गाय और बकरी पालन का कार्य भी शुरू किया है। अभी दीदी के पास दो गाय और पांच बकरियाँ हैं। गाय का दूध और खरसी, पाठा - पाठी की बिक्री से भी दीदी को आमदनी हो जाती है। दीदी आज गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकल कर जीवन-जापन कर रही है।





सतत् जीविकोपार्जन योजना से जीवन में बदलाव

संजना देवी मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के महुली पंचायत टीकारामपुर गाँव की रहने वाली हैं। दीदी को 2 बेटा और 1 बेटी है। संजना देवी के पति पप्पु साह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। इसी बीच, अचानक से पप्पु साह की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद मानो संजना देवी के जीवन में अंधेरा छा गया। परिवार को चलाने के लिए संजना दीदी खुद दूसरों के घर में चौका बर्तन का काम करने लगी ताकि उनके बच्चों को दो वक्त का खाना नसीब हो सके। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया गया। दीदी ने अपने आस-पास के माहौल एवं अपनी क्षमता को देखते हुए किराना दुकान खोलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से संजना दीदी को विशेष निवेश निधि मद से दस हजार रुपये दिये गये जिससे उन्होंने किराना दुकान के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया।

ग्राम संगठन को जीविकोपार्जन निवेश निधि की राशि प्राप्त होने के साथ ही ग्राम संगठन की खरीदारी समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में किराना दुकान खोलने हेतु सामान खरीदने के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया। तत्पश्चात नजदीकी बाजार से किराना दुकान के लिए सामान उपलब्ध कराया गया। जिससे दीदी ने किराना दुकान शुरू किया। इसके अलावा शुरुआत में सात महीने तक एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह दिया गया।

संजना दीदी किराना दुकान की कमाई से अपने बच्चों का सही से पालन करने लगी। अपनी दुकान को और आगे बढ़ाते हुए चण्डी स्थान के पास श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए खाने-पीने का सामान झालमुड़ी और कचड़ी बनाकर बेचनी लगी। दिनों-दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। दुकान की कमाई से वह जमीन खरीद कर स्वयं का घर बनवाना शुरू किया। आज के समय में दीदी कुल मिलाकर 12 से 15 हजार रुपये महीना कमाती है और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रही हैं।

सीमा ने भरी हौसले की उड़ान

सीमा देवी का नाम उन महिलाओं में शुमार है, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जीविका की मदद से अपने जीवन को खुशहाल बनाया है। अब वह आत्मनिर्भर और एक सफल व्यवसायी के रूप में जानी जाती है। भागलपुर के सन्हौला प्रखण्ड की रहने वाली सीमा देवी के पति की बीमारी की वजह से अचानक मौत हो गई थी। इससे उनका जीवन पूरी तरह मुश्किलों से घिर गया था। खुद को संभालना और अपने बच्चों का परवरिश करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में इन्हें जीविका ने सहारा दिया। सीमा को वर्ष 2019 में दीपक जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया था। इसके बाद उनका क्षमतावर्धन किया गया। तदुपरांत उन्हें ग्राम संगठन के माध्यम से योजना के तहत कुल 37 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस राशि से इन्होंने मनहारी दुकान शुरू किया।

सीमा अब सन्हौला प्रखण्ड मुख्यालय स्थित हाट के पास मनहारी दुकान चलाती हैं। इस दुकान से वह हाट लगने के दिन 1500 से 2000 रुपये की बिक्री कर लेती हैं, जबकि सामान्य दिन में एक हजार रुपये तक की बिक्री हो जाती है। दुकान की आय से इन्होंने एक सिलाई मशीन खरीदी है। अब वह मनहारी दुकान के अलावा कपड़ों की सिलाई का काम भी करती हैं। इस प्रकार इन्हें प्रतिमाह औसतन 7 से 8 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है। वर्तमान में उनकी दुकान की कुल परिसंपत्ति बढ़कर 81,994 रुपये हो गई है।

सीमा देवी बताती हैं कि जीविका की वजह से इनका जीवन खुशहाल हुआ है। बुरे वक्त में जीविका ने सहारा दिया और हौसला बढ़ाया। आज वह सतत् जीविकोपार्जन योजना की बदौलत आत्मनिर्भर बनी हैं। इसी कमाई से वह अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनकी बेटियां भी पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, यही उनका सपना है।





सतत् जीविकोपार्जन योजना से सीमा देवी को मिला रोजगार

सीमा देवी नवादा जिला के रोह प्रखंड अंतर्गत समरीगढ़ पंचायत की रहने वाली है। उनके परिवार में उनकी सास और एक बेटी है। उनके पति मजदूरी करते थे। उसी कमाई से उनके पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। आज से 6 साल पहले तक दीदी के परिवार का जीवन खुशहाली से बीत रहा था। करीब 6 साल पहले अचानक एक दिन उनके पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। इसके बाद आमदनी का कोई जरिया नहीं होने के कारण उनके सामने परिवार चलाने की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए सीमा देवी घर से बाहर निकलने लगी और गांव में ही दूसरे के खेत में मजदूरी करने लगी। परंतु रोजाना काम नहीं मिलता था। मजदूरी से होने वाले कमाई से परिवार के तीन सदस्यों को बड़ी मुश्किल से दोनों वक्त का भोजन मिलता था। दिनों-दिन उनकी स्थिति बदतर होती जा रही थी।

इस बीच उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए 6 अप्रैल 2019 को मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कर लिया गया।

इस योजना के तहत सीमा देवी ने सूक्ष्म उद्यम के रूप में किराना दुकान खोलने का निश्चय किया। उसके बाद मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) द्वारा उनके संसाधनों तथा उनके व्यवसाय में लगने वाली सामग्रियों का सूक्ष्म नियोजन किया गया। ग्राम संगठन की सिफारिश के उपरांत प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में ऋण समिति की बैठक कर उनके व्यवसाय हेतु जिला परियोजना समन्वयन इकाई से पहले किस्त की राशि की मांग की गई।

क्षमता वर्धन एवं उद्यम विकास पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक उत्थान, रोजगार के माध्यम से मेहनत कर अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाने, बचत करने, अच्छे ढंग से दुकान चलाने, सस्ता सामान रखने, अधिक सामान नहीं रखने, हिसाब-किताब रखने एवं अच्छा व्यवहार अपनाने के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण के उपरांत योजना अंतर्गत विशेष निवेश निधि के तहत प्राप्त 10,000 रुपये से अपने घर में ही दुकान खोलने हेतु रैंक और काउंटर बनवाया गया। वहीं, ग्राम संगठन के द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि मद के 20,000 रुपये से किराना सामान खरीद कर दिया गया। शुरुआत में सात माह तक उनके भरण-पोषण के लिए जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रूप में प्रति माह 1000 रुपये उन्हें दिया गया। सामान मिलने के बाद सीमा देवी अपना व्यवसाय अच्छे से चलाने लगीं। ग्राम संगठन और जीविका कर्मियों के मार्गदर्शन से धीरे-धीरे वह अपने व्यवसाय को बढ़ाती गईं।

आमदनी बढ़ाने के लिए वह समय के साथ व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाती गईं। आगे चलकर सीमा को योजना के तहत द्वितीय किस्त के रूप में 18,000 रुपये दिये गये, जिससे वह एक भैंस खरीदकर पालने लगी एवं कुछ श्रृंगार का सामान भी बाजार से खरीदकर अपने दुकान में बेचने के लिए रखने लगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होने लगी। उन्होंने अपनी आमदनी की राशि को व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश किया।



सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव के बाद निरंतर इनके परिवार की खुशहाली एवं समृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में सभी व्यवसाय को मिलाकर कुल संपत्ति अभी 1,00,000 रुपए से ज्यादा है। दुकान में प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 रुपये का सामान बिकता है। दुकान और गाय के दूध की बिक्री से हर माह करीब 10,000 से 12,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम

- श्रीमती महुआ राय चौधरी - कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी - परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम

- श्री विकास राव - प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन - प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार - प्रबंधक संचार, लखीसराय

- श्री बिप्लव सरकार - प्रबंधक संचार